न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद संख्या — 07/2017

1. श्री मोहन पुत्र श्री भागू
   जाति रेगर निवासी दांतडा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

...वादी

बनाम

1. श्री कालू पुत्र श्री भींया (फोत) जरिये वारीसान
   1 श्री गोपाल पुत्र स्व0 श्री कालू
   2 श्री महेन्द पुत्र स्व0 श्री कालू
   3 श्रीमती कोशल्या पुत्री स्व0 श्री कालू
   4 श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 श्री कालू
   5 श्री हंसराज पुत्र स्व0 श्री कालू (नाबालिग)
   6 श्री कमलेश पुत्र स्व0 श्री कालू (नाबालिग)
   7 श्रीमती लीला पुत्री स्व0 श्री कालू (नाबालिग)
   प्रतिवादी संख्या 05 , 06 , 07 नाबालिग संरक्षक जरिये भाई
   समस्त जाति रेगर निवासी दांतडा तहसील पीसागंन जिला अजमेर
2. उपपंजीयक तहसील पीसागंन जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर

...... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 एंव 92(ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा – अभि0 वादी
स्वयं उपस्थित – प्रतिवादी संख्या 1 से 7

–: निर्णय :– दिनांक 14.08.2020

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अभिभाषक के यह वादपत्र दिनांक 19.01.2017 को अन्तर्गत धारा 88,89,188 एंव 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रतिवादीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम दांतडा तहसील पीसागंन वर्किंग खाता संख्या 1 खसरा संख्या 684 रकबा 09–02–00 किस्म बारानी 3 कृषि भूमि नामा0 संख्या 117 दिनांक 29.06.1992 श्रीमान नायब तहसीलदार सा पुष्कर के आदेशानुसार नियमन श्री कालू पुत्र भींया रेगर के नाम स्वीकार होकर तन्हा खातेदारी आधिपत्य की रही है। वर्किंग खसरा संख्या 684 रकबा 09–02–00 बीघा भूमि में से 03–00–00 बीघा [illegible] बेनामा दिनांक 21.04.1997 वादी को विक्रय की जाकर भौतिक आधिपत्य [illegible] दिया गया तथा दूसरी बार उसी प्रकार मूल खातेदार श्री कालू पुत्र भींया ने अपने जीवनकाल में ही वादी को उक्त आराजीयात जिनके आधार जमाबदी के खाता संख्या नया 64 पुराना 60 [illegible] संख्या 733

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:36:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर पीसांगन
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकबा 1.46 है. में से दक्षिण ओर का एक भाग वादी द्वारा जरिये दिनांक 23.12.2009 द्वारा वादी को विक्रय की जाकर भौतिक आधिपत्य प्रदान कर दिया गया इस प्रकार वादी उक्त आराजीयात का वर्तमान खसरा सख्या 733 रकबा 1.46 है0 में से रकबा 0.88है0 पर खरीद कर बहैसियत काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित कृषक होने से विधिक प्रकिया की जानकारी के अभाव में उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड एवं मिलान क्षैत्रफल के अनुसार सम्पूर्ण भूमि को स्वयं के नाम खातेदारी अंकन नहीं करवा सकें। प्रतिवादी संख्या 1 के स्वर्गवास होने के पश्चात उसके विधिक वारीसान द्वारा अपना नामान्तकरण करवा कर वादी की क्रयशुदा आराजी को अन्य को बेचान करने पर आमादा है। अतः वाद पत्र स्वीकार फरमाकर वादी को क्रयशुदा आधार खसरा संख्या 733 रकबा 1.46 है0 में से रकबा 0.88 है0 पर खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी की क्रयशुदा आराजी में किसी प्रकार का कोई व्यवधान व दखल उत्पन्न नहीं करें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 की ओर से अभिभाषक ने दिनांक 18.06.2019 को जवाब पेश किया गया। दिनांक 15.10.2019 को तनकी कायम की गयी। दिनांक 17.03.2020 को जिरह वादी साक्ष्य की गयी। तत्पश्चात आज दिनांक को प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/7 ने सहमति पत्र पेश कर स्वीकार किया कि वादी को पंजीयन बेनामा अनुसार आराजी का नामान्तकरण किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

मैने उभयपक्षकारान की बहस सुनी प्राप्त दस्तावेजों का अवलोकन किया । पंजीयन बेनामा एंव सहमति पत्र का अध्ययन किया एंव इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी का वाद पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह **ग्राम दांतडा के आधार खसरा सख्या 733 में पंजीयन बेनामा दिनांक 21.04.1997 एंव दिनांक 23.12.2009 के अनुसार वादी का नामान्तकरण किया जावे । साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें।**

निर्णय आज दिनांक 14.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:36:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)